

उत्तर प्रदेश पुलिस
संख्या:पॉच-111-आर(वरिष्ठता)2014

द्वारा ई मेल/फैक्स
मुख्यालय इलाहाबाद।
दिनांक 11, 2015

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-

उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा-1999 के असफल अभ्यर्थियों द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित योजित सिविल अपील संख्या-6549/2014 विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8400/2008 प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के साथ बंच 07 अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में पारित निर्णय निर्णय दिनांक 15-7-2014 के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक पुलिस मुख्यालय के समांक पत्र दिनांक 17-11-2014 का अवलोकन करें।

2- प्रश्नगत प्रकरण में पूर्व में पुलिस मुख्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 17-11-2014 द्वारा अवगत कराया गया था कि उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा-1999 के असफल अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित विशेष अपील संख्या-579/2007 व अन्य विशेष अपीलों में पारित निर्णय दिनांक 14-3-2008 के विरुद्ध योजित सिविल अपील संख्या-6549/2014, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8400/2008 प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के साथ बंच 07 अन्य विशेष अनुज्ञा याचिकाएँ योजित की गयी।

3- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रश्नगत मामले में निर्णय दिनांक 15-7-2014 पारित किया गया था, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

"The earlier Rules 2008 having been done away with and there being huge number of vacancies against the promotional quota (2500 approximately), we are of the view that all these appeals may now to be disposed of by directing the State of U.P. to initiate and complete the process of promotion of all eligible candidates, including the appellants to the cadre of Sub-Inspector under the Rules of 2013 within a period three months from today.

We have noticed that under the Rules of 2013 only Head Constables are eligible for promotion to the post of Sub-Inspector whereas under the earlier Rules even constables were so eligible. In this regard, it is stated by Mr. Gaurav Bhatia, learned Additional Advocate General, Uttar Pradesh, that such of the appellants who may have been constables earlier, by this time, must have been promoted to the post of Head Constable in view of the huge number of vacancies in the cadre. Notwithstanding the above, we further direct that, in the event, any of the appellants, who are still holding the post of Constable and have not been promoted to the post of Head Constable, their cases for promotion to the post of Head Constable will be finalised before the directions of this Court with regard to promotion to the post of Sub-Inspector for the cadre of Head Constable is given effect to."

4- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15-07-2014 के अनुपालन में याचीगण की वर्तमान स्थिति ज्ञात किये जाने हेतु दिनांक 11-9-2014 को समाचार पत्रों में प्रकाशित कर याचीगणों को अपने से संबंधित निर्धारित प्रारूप में सूचना शपथ पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं पुलिस मुख्यालय के पत्रांक पॉच-111-आर(रिट-165)2006, दिनांक 14-9-2014 द्वारा 971 कर्मियों की सूची डालते हुए उनके वर्तमान नियुक्ति व किस पद पर नियुक्त है, की सूचना जनपद/इकाई में नियुक्त कर्मियों के बारे में सूचना

प्राप्त की गयी। साथ ही पुलिस मुख्यालय के कार्यालय ज्ञापन संमांक पत्र दिनांक 27-10-2014 द्वारा प्रश्नगत मामले में की गई कार्यवाही और अग्रेतर कार्यवाही किस प्रकार की जायेगी विस्तृत विवरण के साथ निर्गत किया गया है।

5- इसी क्रम में याचिकागण द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांक 15-7-2014 को संशोधित कराये जाने हेतु आई0ए0 34/2014 एवं 35/2014 सिविल अपील संख्या-6549/2014, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8400/2008 प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य योजित की गयी। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 31-10-2014 द्वारा अपने पूर्व पारित निर्णय दिनांक 15-7-2014 को रिकॉल(Recall) करते हुए मेरिट के आधार पर सुनवाई कर निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय, द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का अंश निम्नवत् है:-

"Order dated 15th July, 2014 disposing of Civil Appeal No.6549 of 2014 and other connected appeals is recalled. All the cases will now be decided on merits.

List Civil Appeal No.6549 of 2014 and other connected appeals for hearing in the month of January, 2015.

All Intervention/impleadment applications be listed along with the main case.

I.A. Nos. 34/2014 and 35/2014 are disposed of in the above." terms.

6- उक्त के क्रम में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15-7-2014 पर पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत आई0ए0 34/2014 एवं 35/2014 सिविल अपील संख्या-6549/2014, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-8400/2008 प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में दिनांक 21-1-2015 को अन्तिम रूप से सुनवाई हुई। मा0 सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली, द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-5-2015 को सिविल अपील संख्या-6549/2014 मुख्य आक्षेप प्रदीप कुमार राय व अन्य बनाम दिनेश कुमार पाण्डेय व अन्य के साथ बंच अन्य सिविल अपीलों को अस्वीकृत (Dismissed) कर दिया गया है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-5-2015 का प्रभावी अंश निम्नवत् है:-

" Further, It is a settled law that in cases like the present one, where an executive action of the State is challenged, Court must tread with caution and not overstep its limits. The interference by court is warranted only when there are oblique motives or there is miscarriage of justice. In the present case, there is not oblique motive or any miscarriage of justice warranting interference by this Court. Hence the appeals and the writ petition are dismissed."

7- अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-5-2015 द्वारा उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका को अस्वीकृत कर दिये जाने एवं निर्णय दिनांक 15-7-2014 के Recall किये जाने के फलस्वरूप मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेश दिनांक 15-7-2014 के आधार पर मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिकाओं में मा0 उच्च

न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ द्वारा पारित निर्णय में अब किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

8- प्रश्नगत प्रकरण में अपने-अपने जनपद/इकाई/पीएसी में नियुक्त याचीगण सहित उप निरीक्षक ना0पु0 रैंकर परीक्षा-1999 के असफल अन्य कर्मियों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिकाओं जिनमें मा0 उच्च न्यायालय ने याचिकाओं के प्रकरणों में भी मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 15-7-2014 के निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये थे। अतः मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-6549/2014 तथा अन्य बंच सिविल अपीलों को अन्तिम निर्णय दिनांक 11-5-2015 के द्वारा खारिज कर दिये जाने के बाद ऐसे याचीगणों के प्रकरणों में किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रह गयी है।

9- अतः अनुरोध है कि मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-5-2015 के आधार पर याचीगणों को उपरोक्त तथ्य से अवगत करा दें कि अब उनके प्रत्यावेदनों पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। समस्त याचीगणों को सूचित कर पुलिस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(भगवान स्वरूप)

पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि पुलिस उपमहानिरीक्षक तकनीकी सेवार्य, चतुर्थ तल जवाहर भवन उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इस पत्र को उ0प्र0 पुलिस बेवसाइड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि निम्नांकित को कृपया सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया अपने अधीनस्थ वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/जनपद प्रभारी/सेनानायक से उक्त निर्देश का समय से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें:-

- 1- समस्त पुलिस महानिरीक्षक जोन्स/पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स उ0प्र0।
- 2- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र उ0प्र0।
- 3- समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी सेक्टर, उ0प्र0।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस उप महानिरीक्षक, ए0टी0एस0 लखनऊ।
- 2- समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद/सेनानायक पीएसी वाहिनी उ0प्र0।
- 3- समस्त प्रशिक्षण संस्थान/आरटीसी उ0प्र0।

संख्या तथा दिनांक वही।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस उपमहानिरीक्षक, एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
- 2- उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण इलाहाबाद/लखनऊ/गाजियाबाद/नोयडा/बरेली।
- 3- निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
- 4- आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
- 5- पुलिस अधीक्षक, पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
- 6- पुलिस अधीक्षक, सीबीआई लखनऊ।
- 7- पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।

संख्या तथा दिनांक वहीं

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से भी उचित निर्देश देने की कृपा करें :-

- 1—अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, उ०प्र० लखनऊ।
- 2—पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ।
- 3—सचिव, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ।
- 4—विशेष सचिव—गृह, उ०प्र० शासन, गृह(पुलिस) अनुभाग-1, लखनऊ।